## 03. प्रवेश हेतु टाईम फ्रेमः–

VIVEKANAND KENDRA VIDYALAYA BURDA

राज्य के सभी गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों के सम्पन्न होने की एकरूपता की दृष्टि से निम्नानुसार टाईम फ्रेम निर्धारित किया जाता है :–

| क.सं. | विवरण / गतिविधि | टाइमफ्रेम | दायित्व निर्धारण |
|---|---|---|---|
| 1 | विज्ञापन जारी करना | दिशा–निर्देश जारी होने के तत्काल बाद | निदेशालय व सम्बन्धित निजी विद्यालय |
| 2 | संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना | 17 फरवरी 2026 तक | संबंधित विद्यालय |
| 3 | अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना। | 20 फरवरी 2026 से 04 मार्च 2026 तक | संबंधित अभिभावक |
| 4 | ऑनलाईन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालको का वरीयता क्रम निर्धारण करना | 06 मार्च 2026 | राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा |
| 5 | बालक / अभिभावक द्वारा विद्यालय चयन क्रम में परिवर्तन करना (choice filling) | 06 मार्च 2026 से 11 मार्च 2026 तक | अभिभावक द्वारा |
| 6 | प्रथम चरण आवंटन (गैर राजकीय विद्यालय) | 13 मार्च 2026 | राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा |
| 7 | दस्तावेज सत्यापन | 13 मार्च 2026 से 21 मार्च 2026 तक | गैर राजकीय विद्यालय द्वारा (आवंटित बालकों के) |
| 8 | प्रथम चरण आवंटन से संबंधित परिवदेनाओं का निस्तारण | 13 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक | सीबीईओ / जिशिअ / संयुक्त निदेशक |
| 9 | द्वितीय चरण आवंटन (गैर राजकीय विद्यालय) | 27 मार्च 2026 | राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा |
| 10 | दस्तावेज सत्यापन | 27 मार्च 2026 से 4 अप्रेल 2026 तक | गैर राजकीय विद्यालय द्वारा (आवंटित बालकों के) |
| 11 | द्वितीय चरण आवंटन से संबंधित परिवदेनाओं का निस्तारण | 27 मार्च 2026 से 10 अप्रेल 2026 तक | सीबीईओ / जिशिअ / संयुक्त निदेशक |
| 12 | शेष रिक्त सीट्स पर आवंटन (तृतीय चरण आवश्यक होने पर) | 13 अप्रैल 2026 | राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा |
| 13. | दस्तावेज सत्यापन | 13 अप्रैल 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक | गैर राजकीय विद्यालय द्वारा (आवंटित बालकों के) |
| 14. | तृतीय चरण आवंटन से संबंधित परिवदेनाओं का निस्तारण | 13 अप्रैल 2026 से 21 अप्रैल 2026 तक | सीबीईओ / जिशिअ / संयुक्त निदेशक |

नोटः

3.1. टाईम फ्रेम के क्र.सं. 1 पर अंकित गतिविधि **''विज्ञापन जारी करना''** के लिए विभाग द्वारा दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है साथ ही संबंधित विद्यालय समाचार पत्रों / स्वयं की वेब साईट / स्थानीय स्तर पर प्रचार–प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड, सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन, पेम्पलेट आदि का उपयोग कर व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करेंगे, जिससे विद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी जानकारी आम नागरिकों तक पहुँच सके।

3.2. संबंधित विद्यालय / कार्यालय / अभिभावक को उपरोक्त टाईम फ्रेम में गतिविधि के सामने अंकित तिथि के अनुसार कार्य अनिवार्य रूप से सम्पन्न करना होगा।

3.3. विद्यालय प्रोफाईल को संबंधित **CBEO** द्वारा अपने लॉगिन में देखा जा सकेगा तथा टाईम फ्रेम द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व अपने परिक्षेत्र के समस्त गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा प्रोफाईल भरवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अन्तिम तिथि को समस्त विद्यालयों का विद्यालय प्रोफाईल, पोर्टल द्वारा लॉक कर दिया जाएगा।

3.4. ऐसे गैर सरकारी विद्यालय जो वर्तमान में संचालित नहीं है। उनकी सूचना संबंधित **CBEO** द्वारा में प्रबन्ध टेब के माध्यम से स्कूल की स्थिति (close/open) भरा जाये।

3.5. टाईम फ्रेम में अंकित तिथियों में विभाग द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा। जिसकी सूचना पीएसपी पोर्टल पर उपलब्ध होगी।